

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 44 / 2025

आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा जे.एस.ई.एल. विल्डिंग, मालवीय नगर, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. श्रीमती राधा पत्नी श्री सतीश बाबू निवासी वृज किशोर कौलानी गुलजार वाग ना भरतपुर राज0, हाउस नं. ए. 453 छत के अधिकार के साथ बाके जवाहर नगर तहसील व जिला भरतपुर राज0 321001, नोकेंड्या थोक सहारई तहसील डीग।
2. श्री सतीश बाबू पुत्र रोशन सिंह 14 RR BN 56 APO, राजौजी जम्मू एंड कश्मीर राजौरी 905525, हाउस नं. ए. 453 छत के अधिकार के साथ बाके जवाहर नगर तहसील व जिला भरतपुर राज0 321001, नोकेंड्या थोक सहारई तहसील डीग।

.....अप्रार्थी / सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिविल रिटॉरिजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी वावत।

आदेश

दिनांक 20.06.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 22.03.2018 को जरिए ऋण अनुबन्ध, राशि रु. 11,89,864/- (शब्देन ग्यारह लाख नबासी हजार आठ सौ चौंसठ रु. मात्र) की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने हाउस नं. ए. 453 छत के अधिकार के साथ बाके जवाहर नगर तहसील व जिला भरतपुर राज0 321001 पर स्थित है बैंक रिकार्ड के अनुसार 450 वर्ग फीट है। जिसकी सीमाएं पूर्व में प्लॉट संख्या ए 452, पश्चिम में 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर में 25 फिट चौड़ा रास्ता तथा दक्षिण में प्लाट संख्या ए. 454 है, जिसका स्वामित्व श्रीमती राधा पत्नी श्री सतीश बाबू का है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखा था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के ऋण खाते को दिनांक 04.03.2024 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक

.....2

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)

प्रा.पत्र / सरफेसी / 44 / 2025  
आई.सी.आई.सी.आई. बनाम राधा वगै.

दिनांक 31.05.2024 तक कुल बकाया राशि रु. 07,48,655/- (शब्देन सात लाख अड़तालीस हजार छः सौ पचपन रु. मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 31.05.2025 को अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखा गया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 31.05.2024 से अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति हाउस नं. ए. 453 छत के अधिकार के साथ बाके जवाहर नगर तहसील व जिला भरतपुर राज0 321001 पर स्थित है बैंक रिकार्ड के अनुसार 450 वर्ग फीट है। जिसकी सीमाएँ पूर्व में प्लॉट संख्या ए 452, पश्चिम में 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर में 25 फिट चौड़ा रास्ता तथा दक्षिण में


.....3

जिला कलक्टर  
भरतपुर

(3)

प्रा.पत्र/ सरफेसी/44/2025  
आई.सी.आई.सी.आई. बनाम राधा वगै.

प्लॉट संख्या ए. 454 है, जिसका स्वामित्व श्रीमती राधा पत्नि श्री सतीश वावू का है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखा था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

  
(डॉ० अमित यादव)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर